जनपद बिजनौर

प्रेसनोट-थाना स्योहारा **दिनाँक-07.05.2026**

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मु0अ0स0 121/2026 धारा 305(a)/ 317(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 16.04.2026 को वादी श्री निशान्त चौधरी पुत्र श्री हीरा सिंह राजपूत निवासी ग्राम डेहरा बुलंदी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर द्वारा तहरीर दी गयी कि 02 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उसकी दुकान से 6 लेडीज घडी, 12 पर्स, 10 पुरूष बेल्ट, 12 शीशी परफ्यूम, फेशयल कीट, फाउंडेशन व गल्ले में रखे करीब 19000/- रूपये नगदी चोरी कर ली गयी तथा वादी के पडौसी भीष्म पुत्र लेखराज सिंह निवासी दोलताबाद थाना स्योहारा जनपद बिजनौर की दुकान से भी 01 गैस सिलंडर चोरी कर लिया गया है।

इस संबंध में थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 121/2026 धारा 305(a) बीएनएस पंजीकृत किया गया था । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान 02 अभियुक्तगण 1.हर्षित कुमार उर्फ बादल पुत्र मोहन सिंह 2.प्रदीप पुत्र यशबीर सिंह निवासीगण ग्राम खानपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर व 01 बाल अपचारी का नाम प्रकाश में आयें।

नोट- ***उपरोक्त प्रकरण में संबंधित बालअपचारी को पूर्व में थाना स्योहारा पुलिस द्वारा निगरानी में लिया गया है।***

कार्यवाही-

दिनांक 07.05.2026 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त हर्षित कुमार उर्फ बादल उपरोक्त को वादी की दुकान से चोरी किये गये एक पर्स,एक बैल्ट व 2400/- रुपये नगदी सहित गिरफ्तार किया गया है। अन्य आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

हर्षित कुमार उर्फ बादल पुत्र मोहन सिंह निवासी ग्राम खानपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

बरामदगी-

चोरी किया गया 01 पर्स, 01 बैल्ट व 2400/- रुपये नगदी

पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

2.हे0का0 297 नीटू राणा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

3.का0 1972 गौरव थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना नांगल   दिनांक 07-05.2026

थाना नांगल पुलिस द्वारा अन्तर्जनपदीय चोरी गैंग के 25000/- रू के पुरस्कार घोषित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

सक्षिप्त विवरण-

दिनांक 07.05.2025 को थाना नांगल पुलिस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड के दौरान थाना नांगल क्षेत्र की चोरी की 04 घटनाओं का अनावरण करते हुए 05 अभियुक्तों को अवैध शस्त्र, चोरी किये गए पीली व सफेद धातु के आभूषण, नगदी व चोरी/नकबजनी की घटनाओं मे प्रयुक्त उपकरणों सहित गिरफ्तार किया गया था । मौक से अभियुक्तों का साथी अजीत पुत्र कुन्दन निवासी ग्राम रमपुरा थाना पंसगवा जनपद लखीमपुर खीरी अपने अन्य 02 साथियों के साथ फरार हो गया था । **अभियुक्त अजीत की गिरफ्तारी हेतु 25,000/- रूपये की इनाम भी घोषित किया गया था ।**

कार्यवाही विवरण-

आज थाना नांगल पुलिस द्वारा उपरोक्त चोरी/नकबजनी की 02 घटनाओं मे वांछित / 25,000/- रूपये के इनामिया अभियुक्त अजीत पुत्र कुन्दन निवासी ग्राम रमपुरा थाना पंसगवा जनपद लखीमपुर खीरी को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से एक पीली धातु नाक की लोंग, चोरी की घटना से संबंधित 2600 रू नगदी, एक अवैध तमन्चा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ । इस संबंध मे अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ विवरण-

अभियुक्त अजीत ने पूछताछ में अपने अन्य साथियों तारा उर्फ ताराचन्द**,** टीकम**,** बच्चू लाल**,** अशोक उर्फ जहरीला व हरि सिंह (पुलिस मुठभेड के दौरान गिरफ्तार) के साथ विभिन्न जनपदों में बंद मकानों की रेकी कर रात्रि में चोरी की घटनाएं करना स्वीकार किया। अभियुक्त ने करीब डेढ़ वर्ष पूर्व ग्राम सुंगरपुर बेहड़ा में चोरी की घटना करना स्वीकार करते हुए बरामद लोंग व 2600 रुपये को चोरी से संबंधित बताया। अभियुक्त ने यह भी बताया कि पुलिस पार्टी पर फायर उसी द्वारा किया गया तथा वह मौके से फरार हो गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अजीत पुत्र कुन्दन निवासी ग्राम रमपुरा थाना पंसगवा जनपद लखीमपुर खीरी ।

बरामदगी-

1.एक पीली धातु की नाक की लोंग (मु0अ0सं0-13/25 थाना नांगल से सम्बन्धित)
2.नगदी 2600 रू (मु0अ0सं0 14/25 थाना नांगल से सम्बन्धित)

3.एक अवैध तंमचा 315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस 315 बोर (मु0अ0सं0 18/25 थाना पुलिस मुठभेड की घटना से संबंधित)

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 13/25 धारा 305(ए)/331 (4) /317(2) बीएनएस थाना नांगल जनपद बिजनौर

2. मु0अ0सं0 14/25 धारा 305(ए)/331 (4) /317(2) बीएनएस थाना नांगल जनपद बिजनौर

3. मु0अ0सं0 18/25 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नांगल जनपद बिजनौर

4. मु0 अ0 सं0 175/25 धारा 209 बीएनएस थाना नांगल जनपद बिजनौर

5. मु0अ0सं0 261/25 धारा 305/313/317(2)/317(50/331(2) बीएनएस थाना मुगरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर

6. मु0अ0सं0 277/25 धारा 109/3(5) बीएनएस 3/25 शस्त्र अधि0 थाना मुगरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर

7. मु0अ0सं0 217/21 धारा 323/325/504/506 भादवि थाना पंसगवा जनपद लखीमपुर खीरी

8. मु0अ0सं0 31/23 धारा 380/411/457 भादवि थाना नई मण्डी जनपद मुजफ्फरनगर

9. मु0अ0सं0 518/25 धारा 312 बीएनएस थाना सारनाथ जनपद वाराणसी

10. मु0अ0सं0 1/25 धारा 305(ए)/331(4)/317(2) बीएनएस थाना अलीनगर जनपद चंदौली

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.थानाध्यक्ष श्री अमर सिंह राठौर थाना-नांगल जनपद- बिजनौर

2.उ0नि0 श्री उपेन्द्र सिंह थाना - नांगल जनपद - बिजनौर

3.का0 1074 राजीव – नागल जनपद- बिजनौर

4.का0 2144 ऋषि अत्री थाना – नागल जनपद- बिजनौर

5.का0 396 रूपक थाना नांगल जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेसनोट – थाना मण्डावली **दिनांक – 08.02.2025**

थाना मण्डावली पुलिस द्वारा मु0अ0सं 45/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त चोरी के सामान सहित किया गया गिरफ्तार।

घटना एंव कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 07.05.2026 को वादी रोहताश पुत्र रतन सिंह निवासी ग्राम विजयपुर थाना मण्डावली जनपद बिजनौर ने तहरीर दी कि दिनांक 07.05.2026 की रात्रि में उसने स्थानीय पुलिस की सहयता से अभियुक्त साहिल पुत्र अहसान निवासी ग्राम भागूवाला थाना मण्डावली जनपद बिजनौर को उसके घर के सामने खडे ट्रैक्टर से बैटरा,हिंच एवं डोवाल पटरी चोरी कर अपनी मोटरसाईकिल(UP20CV3508) पर बांधकर ले जाते हुए पकडा है।

वादी की तहरीर के आधार पर थाना मंडावली पुलिस द्वारा अभियुक्त साहिल उपरोक्त को गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 45/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

पुछताछ के दौरान अभियुक्त साहिल उपरोक्त ने बताया कि उसके दिनांक 05/06.05.2026 को थाना क्षेत्र के ग्राम मण्डावली के जगंल स्थित ट्यूवेलों से भी तार चोरी किये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः

साहिल पुत्र अहसान निवासी ग्राम भागूवाला थाना मण्डावली जनपद बिजनौर

बरामदगी-

ट्रैक्टर्स का बैटरा, ट्रैक्टर हिंच,डोवाल पटरी व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री सोनू कुमार थाना मण्डावली जनपद बिजनौर
2.का0 2582 गौरव थाना मण्डावली जनपद बिजनौर
3.आरक्षी यश थाना मण्डावली जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेसनोट-थाना चांदपुर **दिनाँक- 07.05.2026**

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 237/26 धारा 115(2)/352/351(2)/190/191(2)/126(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त को किया गया।

घटना एंव कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 01.05.2026 को वादी श्री नासिर पुत्र अशफाक ग्राम सब्दलपुर तेली थाना चांदपुर जनपद बिजनौर द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण 1.आसिफ पुत्र शराफत निवासी ग्राम चुचैला थाना धनौरा मंडी जनपद अमरोहा 2.सेहरान पुत्र फुरशाद 3.बिन्टू निवासीगण ग्राम भोगपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर सहित 03 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा वादी के पुत्र के साथ गाली-गलौच कर मारपीट करते हुए धारदार हथियारों से वार किये गये।

इस सम्बन्ध मे थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 237/2026 धारा 115(2)/352/351(2)/190/191(2)/126(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

आज दिनांक 07.05.2026 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त आसिफ उपरोक्त को घटना में प्रयुक्त स्टील के पाइप, लोहे का खुदाल व बांस का डंडे सहित गिरफ्तार किया गया। अन्य आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

आसिफ पुत्र शराफत निवासी ग्राम चुचैला खुर्द थाना धनौरा जनपद अमरोहा

अभियुक्त आसिफ उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 237/26 धारा 115(2)/352/351(2)/190/191(2)/126(2)/109(1)/117(2) बीएनएस थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

2.मु0अ0सं0 116/26 धारा 115(2)/351(3)/352 बीएनएस थाना मण्डी धनौरा जनपद अमरोहा

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 रोबिन कौशिक थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

2.हे0का0 494 विपिन खोखर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

3.का0 2290 सागर कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।